रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-ए.पी.-अ.-07022020-216023 CG-AP-E-07022020-216023

> असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4 **PART III—Section 4**

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 5, 2020/माघ 16, 1941 No. 47]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 5, 2020/MAGHA 16, 1941

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 3 फरवरी, 2020

फा.सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./आरआई/1/167/2020.—बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101ए की उप-धारा (2) एवं (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101बी के अधीन गठित सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद और केन्द्र सरकार के पूर्व-अनुमोदन से निम्नलिखित अधिसूचना अर्थात्-- "वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अनिवार्य अध्यर्पण" जारी करता है।

- प्रयोज्यताः यह अधिसूचना बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101ए के उपबंध के अनुसार भारतीय पनर्बीमाकर्ताओं और अन्य प्रयोज्य बीमाकर्ताओं पर लाग होगी।
- अध्यर्पण का प्रतिशतः भारतीय पुनर्बीमाकर्ता(ओं) के पास पुनर्बीमा की जाने वाली प्रत्येक साधारण बीमा पालिसी पर बीमित राशि का प्रतिशत अध्यर्पण 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ होने वाले 31 मार्च 2021 तक के वित्तीय वर्ष के दौरान संबद्ध किये जाने वाले बीमे के संबंध में 5% (पाँच प्रतिशत) होगा। आतंकवाद प्रीमियम और नाभिकीय समृह (न्युक्लियर पुल) को अध्यर्पित प्रीमियम इसके अपवाद होंगे, जिनमें यह 'शन्य' किया जाएगा। कुल अनिवार्य अध्यर्पण केवल भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी आरई) के पास ही रखा जाना चाहिए।

शर्तें :

(क) अध्यर्पण के बारे में सूचनाः

बीमित राशि की कोई भी सीमा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के दौरान किये गये अध्यर्पणों के लिए लागू नहीं होगी।

731 GI/2020 (1) ii. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए भारतीय पुनर्बीमाकर्ता अध्यर्पक बीमाकर्ता से अपेक्षा कर सकता है कि वह भारतीय पुनर्बीमाकर्ता द्वारा विनिर्दिष्ट राशि से अधिक किसी भी अध्यर्पण की जोखिम-अंकन सूचना की जानकारी तत्काल दे। जब भी अध्यर्पण ऐसी विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक हो जाता है तब हर समय अध्यर्पक बीमाकर्ता भारतीय पुनर्बीमाकर्ता को सुचित करेगा।

(ख) कमीशनः

व्यवसाय की विभिन्न श्रेणियों के लिए अनिवार्य अध्यर्पण पर कमीशन का प्रतिशत निम्नानुसार होगाः

- i. मोटर टीपी तथा तेल और ऊर्जा बीमा के लिए न्यूनतम 5%।
- ii. सामूहिक स्वास्थ्य बीमा के लिए न्यूनतम 10%।
- iii. फ़सल बीमा के लिए न्यूनतम 7.50%।
- iv. विमानन बीमा के लिए औसत शर्तें।
- v. बीमा व्यवसाय की सभी अन्य श्रेणियों के लिए न्यूनतम 15%।

उपर्युक्त से अधिक कमीशन भारतीय पुनर्बीमाकर्ता(ओं) और अध्यर्पक बीमाकर्ता के बीच पारस्परिक तौर पर सहमत रूप में हो सकता है।

(ग) लाभ कमीशनः

भारतीय पुनर्बीमाकर्ता निम्नलिखित के फैक्टरिंग के बाद कार्यनिष्पादन और अध्यर्पक बीमाकर्ता के कुल अनिवार्य संविभाग के आधिक्य के आधार पर अध्यर्पक बीमाकर्ता के साथ 50% : 50% आधार पर लाभ कमीशन का साझा करेगा।

- उपगत हानि % (3 वित्तीय वर्षों के अंत में गणना करनी चाहिए)
- ii. 2% प्रबंधन व्यय।
- iii. 5% लाभ।
- iv. 15% कमीशन।
- v. 50% से 78% तक हानि अनुपात।

कोई लाभ कमीशन देय नहीं है यदि हानि अनुपात 78% से अधिक हो। लाभ कमीशन 14% से अधिक नहीं होगा।

डॉ. सुभाष सी. खुंटिआ, अध्यक्ष

[विज्ञापन.III/4/असा./434/19]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

Hyderabad, the 3rd February, 2020

- **F. No. IRDAI/RI/1/167/2020.**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) and (4) of the Section 101A of the Insurance Act, 1938, the Authority, after consultation with the Advisory Committee, constituted under section 101B of the Insurance Act, 1938 and with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following notification namely:- "Obligatory Cession for the financial year 2020-21".
- 1. **Applicability:** This notification shall be applicable to Indian Re-insurers and other applicable insurers as per the provisions of Section 101A of the Insurance Act, 1938.

2. **Percentage of Cession:** The percentage cession of the sum insured on each General Insurance Policy to be reinsured with the Indian Re-insurer(s) shall be 5% (five percent) in respect of insurance attaching during the financial year beginning from 1st April, 2020 to 31st March, 2021, except the terrorism premium and premium ceded to Nuclear pool, wherein it would be made 'NIL'. The entire Obligatory Cession is to be placed with General Insurance Corporation of India (GIC Re) only.

3. Terms & Conditions:

(a) Notice of information on cession:

- (i) There would be no limit on sum insured applicable for the cessions made during the period from 1st April, 2020 to 31st March, 2021.
- (ii) In view of the above, the Indian Re-insurer may require the ceding insurer to give immediate notice of underwriting information of any cession exceeding an amount as specified by the former. The ceding insurer shall inform the Indian Re-insurer at all times whenever the cession exceeds such specified limits.

(b) Commission:

Percentage of commission on obligatory cession for different classes of business shall be as follows:

- (i) Minimum 5% for Motor TP and Oil & Energy Insurance.
- (ii) Minimum 10% for Group Health Insurance.
- (iii) Minimum 7.50% for Crop Insurance.
- (iv) Average Terms for Aviation Insurance.
- (v) Minimum 15% for all other classes of Insurance business.

Commission over and above, can be as mutually agreed between Indian Re-insurer(s) and the ceding insurer.

b) Profit Commission:

The Indian Re-insurer shall share the profit commission, on 50%:50% basis, with the ceding insurer based on the performance and surplus of the total obligatory portfolio of the ceding insurer, after factoring the following:

- (i) Incurred loss % (to be worked at the end of 3 financial years).
- (ii) Management Expenses at 2%.
- (iii) Profit at 5%.
- (iv) Commission at 15%.
- (v) Loss ratio at 50% to 78%.

No profit commission is payable if the loss ratio exceeds 78%. Profit commission shall not exceed 14%.

Dr. SUBHASH C. KHUNTIA, Chairman [ADVT.-III/4/Exty./434/19]